ICMAI
THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
(Statutory Body under an Act of Parliament)

प्रेस नोट

आयकर विधेयक, 2025 की धारा 515(3)(ख) के अंतर्गत "एकाउंटेंट" की परिभाषा में "कॉस्ट एकाउंटेंट" को शामिल करने के लिए ज्ञापन जारी करने के संबंध में

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए **आयकर विधेयक** 2025 का स्वागत करता है। हम इसे भारत की छह दशक पुरानी प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, अप्रचलित संदर्भों को समाप्त करना, मुकदमेबाजी में कमी लाने और इसके स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने की दिशा में अधिक संक्षिप्त और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यह स्पष्ट रूप से कारोबार में आसानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूलभूत संरचनात्मक बदलावों की शुरूआत करने की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

इंस्टीट्यूट की ओर से, हम विकसित भारत@2047 के विजन को साकार बनाने में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इंस्टीट्यूट ने **आयकर विधेयक, 2025 की धारा 515 (3) (ख) के अंतर्गत "एकाउंटेंट" की परिभाषा में "कॉस्ट एकाउंटेंट" को शामिल करने** का अनुरोध करते हुए आयकर विधेयक, 2025 को जाँचने के लिए लोकसभा की चयन समिति को एक **ज्ञापन** प्रस्तुत किया है। इससे कारोबारी परिदृश्य में अधिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता और विकसित हो रही कर व्यवस्था के तहत कराधान व अनुपालन-संबंधी गतिविधियों में कॉस्ट एकाउंटेंट के विशिष्ट कौशलों का उपयोग सुनिश्चित होगा।

अकाउंटेंट की परिभाषा में **शामिल किए जाने की मांग** सीएमए पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारे **विशेषज्ञ ज्ञान पर आधारित** है, जिसमें आयकर, जीएसटी, लेखा, बैंकिंग, वित्त, लागत और प्रबंधन लेखांकन, लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, रणनीतिक जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट कानून, नैतिकता आदि के सभी क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मानकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। सीएमए को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत **आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मान्यता प्राप्त है**। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम मूल्यांकन और लेखा एवं वित्त की गहन समझ के क्षेत्र में उनके विशेषज्ञ ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। सीएमए को विभिन्न राज्य कानूनों के तहत **वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। सीएमए सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञ होते हैं** जिसका उन्हें सरकारी खजाने को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए आयकर के क्षेत्र में काम करने का एक अनूठा लाभ होता है। इसके अलावा, मौजूदा आयकर अधिनियम के तहत कर लेखा परीक्षा वास्तव में एक लेखा परीक्षा नहीं है; यह पहले से ही लेखा परीक्षा किए जा चुके वित्तीय विवरणों से कर संबंधी डेटा का संकलन मात्र होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2021 के सिविल केस 29 में पैरा 27 पर अनुपात दिया गया है। सीएमए निर्धारित प्रारूप के अनुसार ऐसे डेटा को संकलित करने में समान रूप से सक्षम हैं। **अतः, सीएमए को आयकर विधेयक, 2025 की धारा 515 (3) (ख) के तहत "एकाउंटेंट" की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।**

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में :

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम, अर्थात् लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत भारत में लागत और प्रबंधन लेखाकारों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए एक वैधानिक पेशेवर निकाय के रूप में की गई है। यह इंस्टीट्यूट **कॉर्पोरेट**

कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) का संस्थापक सदस्य है। संस्थान एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एएफए) का एसोसिएट सदस्य और इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी), यूके का सदस्य भी है।

अध्यक्ष का कार्यालय- आईसीएमएआई
ईमेल आईडी : presidentoffice@icmai.in; मोबाइल : 9466664492

*****